सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी केकडी जिला अजमेर

राजस्व वादपत्र स0 120/2018

रामसिंह पुत्र भंवरसिंह कौम राजपूत निवासी फारकिया हाल निवासी डिग्गी

---वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार केकडी जिला अजमेर

----प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राज.काश्तकारी अधिनियम

पीठासीन अधिकारी : श्री नीरज कुमार मीना (आरएएस)

निर्णय

दिनांक 23.05.2018

पत्रावली आज दिनांक लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2018 केम्प भराई में पेश हुई। वादी /प्रतिवादी उपस्थित । उभयपक्षों को सुना गया, संक्षेप में विवरण निम्नानुसार है।

वादी ने एक वादपत्र अन्तर्गत धारा 88,209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत मय दस्तावेज पेशकर निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी वाके **ग्राम फारकिया तहसील केकडी के खाता संख्या 155 किता 11 रकबा 5.54 है. में दर्ज वादी का नाम रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज कर दिया गया जिसे दुरूस्त करवाकर रामसिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज किया जावे।**

हमने वादी का वादपत्र दर्ज मुकदमा रजिस्टर किया। पेरोकार सरकार की ओर से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार **ग्राम फारकिया तहसील केकडी के खाता संख्या 155 किता 11 रकबा 5.54 है. में दर्ज वादी का नाम रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह दर्ज है।** वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार **ग्राम फारकिया तहसील केकडी के खाता संख्या 155 किता 11 रकबा 5.54 है. में दर्ज वादी का नाम रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह** के स्थान पर **रामसिंह पुत्र भंवरसिंह** किया जाने की प्रस्तुत रिपोर्ट में सिफारिश की है।

हमने वादपत्र का अवलोकन किया साथ ही तहसीलदार केकडी भू.अभि.निरी. व पटवारी हल्का फारकिया की रिपोर्ट का अवलोकन किया। **ग्राम फारकिया तहसील केकडी के खाता संख्या 155 किता 11 रकबा 5.54 है. में दर्ज वादी का नाम रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह** के स्थान पर **रामसिंह पुत्र भंवरसिंह** का अंकन किये जाने की घोषणा की जाती है। यदि किसी न्यायालय में कोई आपारधिक वाद या जांच **रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह** के नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का वादी **रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह** के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिये भी **रामप्रताप सिंह पुत्र भंवरसिंह** नाम ही प्रभावी माना जावेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो वादी स्वयं जिम्मेदार होगा। तहसीलदार **केकडी** को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें।

आदेश आज दिनांक 23.5.2018 को लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प भराई में मज में आम में सुनाया गया व पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे एंव उक्त निर्णय शामिल पत्रावली किया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
केकडी